

इशरतजहाँ केश के बदलते रूप

समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के संचालन के भिन्न-भिन्न स्वरूप होते हैं तथा संचालक के गुण भी अलग-अलग होते हैं। सामाजिक व्यक्ति के लिए लक्ष्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए जबकि राजनेता के लिए लक्ष्य पवित्र हो किन्तु विशेष परिस्थिति में साधन पवित्र नहीं भी हो सकता है। व्यवसायी के लिए भी लक्ष्य तो पवित्र होना चाहिए किन्तु साधन कुछ अपवित्र भी हो सकता है। समाजशास्त्र के संचालन में कूटनीति की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु राजनीतिशास्त्र के संचालन में विशेष परिस्थिति में कूटनीति आवश्यक हो जाती है। अर्थशास्त्र में भी यदाकदा कूटनीति का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि राजनीति से जुड़े लोगों को कूटनीति का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए।

यदि हम वर्तमान स्थिति की तुलना करें तो नरेन्द्र मोदी को भी एक सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में माना जा सकता है, तथा पिछली सरकार के कार्यकाल में पी चिदम्बरम भी एक सफल कूटनीतिज्ञ माने गये। नरेन्द्र मोदी और पी चिदम्बरम में एक मामले में बिल्कुल भिन्नता दिखती है कि अब तक के कार्यकाल में मोदी की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं पैदा हुआ किन्तु पी चिदम्बरम की ईमानदारी असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। विशेषकर वर्तमान में उनके पुत्र के विषय में घटनाएँ प्रकाश में आने के बाद तो यह संदेह और भी बढ़ जाता है। किन्तु इस एक कमी को छोड़कर पी चिदम्बरम में प्रधानमंत्री बनने के अन्य सभी गुण मौजूद थे। पी चिदम्बरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग की पवित्रता से कभी बंधे नहीं रहे, और न ही किसी राजनेता को ऐसा बंधन स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि राजनीति का गुण होता है लक्ष्य के प्रति पवित्रता तथा मार्ग के प्रति परिस्थितिजन्य निर्णय। पिछले कार्यकाल में पी चिदम्बरम ने अग्निवेश जी को माध्यम बनाकर किसी बड़े नक्सलवादी को पकड़वा दिया था, या संभवतः मरवा दिया था। यह बात जगजाहिर है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि यदि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के माध्यम से नक्सलवादियों को बचाने में ढाल का काम न किया होता तो जिस समय ४०ग्र० में ७६ सैनिक मारे गये थे उस समय पी चिदम्बरम जी ने नक्सलवाद का सम्पूर्ण सफाया करने का प्रण कर लिया था। और मैं आश्वस्त हूँ कि वे उस समय कुछ ही दिनों में नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हो जाते जिसकी शुरुवात ४०ग्र० से होती। इसी तरह पी चिदम्बरम जी ने प्रणव मुखर्जी की गुप्त जासूसी कराने की भी तैयारी कर ली थी।

ऐसा लगता है कि पी चिदम्बरम को सोनिया गांधी का वरदहस्त प्राप्त था। जब इशरतजहाँ का फर्जी एन्काउंटर हुआ तो नरेन्द्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी को फसाने के लिए पी चिदम्बरम सामने आये। मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि इशरतजहाँ एक आतंकवादी थी जो गुजरात में आतंकवाद के सहारे वहाँ के प्रमुख नेताओं को मारना चाहती थी, तथा गुजरात पुलिस ने उसे ऐसी घटना के पहले ही फर्जी एन्काउंटर दिखाकर मार गिराया। इस घटना का कोई भाग भले ही असत्य हो, किन्तु मुझे पूर्व से ही ऐसा विश्वास रहा है। और अब तो यह विश्वास धीरे-धीरे प्रमाणित भी होने लगा है। इस घटना में नरेन्द्र मोदी अमित शाह को फसाने के लिए कांग्रेस सरकार की तरफ से भरसक प्रयास किये गये। किन्तु यह नहीं पता था कि ऐसे प्रयास में किसी तरह की जालसाजी भी की गई, जो अब सामने आ रही है। हो सकता है कि ऐसी जालसाजी करना पी चिदम्बरम का व्यक्तिगत लक्ष्य रहा हो। किन्तु ज्यादा सम्भावना इस बात की है कि ऐसा लक्ष्य पी चिदम्बरम जी को उपर से दिया गया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी बातें सामने आ रही हैं वह कूटनीति की सीमाओं को भी पार कर रही हैं। क्योंकि कूटनीति का उपयोग शत्रु के विरुद्ध तो हो सकता है किन्तु प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध यदि इतने नीचे स्तर की कूटनीति होती है तो वह पूरी तरह अनैतिक कार्य माना जाता है। यह कार्य यदि उपर के कहने पर किया गया तो पी चिदम्बरम इस अनैतिकता से बरी भी हो सकते हैं। किन्तु यदि उन्होंने स्वयं स्वप्रेरणा से यह कार्य किया तो यह अत्यंत निन्दनीय है। कहीं भविष्य में ऐसा भी भेद न खुल जाये कि तीस्ता शीतलवाड़ को भी इन्हीं लोगों ने मद्द करके आगे बढ़ाया हो।

न्यायालय में शपथ पत्र बदलने के जो उदाहरण सामने आ रहे हैं उनमें किसी तरह के संदेह की गुन्जाइश नहीं दिखती। दुख होता है यह जानकर कि मोदी अमित शाह को फसाने के लिए हमारी सरकार के गृहमंत्री ने आई बी और सीबीआई के बीच भी इतना बड़ा विवाद पैदा करने का जोखिम उठा लिया। इतना बड़ा जोखिम तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकता है। थोड़े से राजनैतिक स्वार्थ के लिए देश की व्यवस्था के साथ इतना बड़ा धोखा अक्षम्य अपराध होना चाहिए। सत्य की परतें अभी और खुलेंगी किन्तु यह बात अवश्य विचारणीय है कि यदि पी चिदम्बरम जी ने इतना बड़ा खतरा उठाया तो उन्हें देशद्रोही मानना चाहिए। और यदि उन्होंने किसी उपर के आदेश से ऐसा किया तो उपर वाले को देशद्रोही मानना चाहिए। और यदि सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने ऐसा कोई जाल रचा तो उसे भी देशद्रोही से कम नहीं कहाँ जा सकता। वैसे सच तो भविष्य में ही स्पष्ट हो पायेगा किन्तु मुझे अब तक की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि नरेन्द्र मोदी, अमित शाह को फसाने के लिए इशरतजहाँ जैसी आतंकवादी को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास किया गया। मुझे तो इस घटना से एक यह झटका लगा कि नीतिश कुमार सरीखे व्यक्ति ने भी बिना जॉच पड़ताल किये इशरतजहाँ को बेगुनाह घोषित करने में जल्द बाजी करने की भूल की। नीतिश कुमार जी को भी इस मामले में अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए। आज कल राजनीति का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। असंभव भी कभी कभी संभव बन जा रहा है। रमण सिंह और अजीत जोगी अंदर अंदर योजनाए बनाने लगे हैं। कहीं ऐसा ही असंभव भविष्य में संभव हो जाये कि इशरत जहाँ स्वप्रेरित आतंकवादी न होकर बल्कि किसी समूह द्वारा नरेन्द्र मोदी की हत्या के लिये प्रेरित की गई थी तो एक नया असंभव संभव बन जायेगा। मेरी इच्छा है कि ऐसा न हो।

1 जे एन यू प्रकरण और मैं

मैंने जे एन यू प्रकरण के संबंध मे दो लेख लिखे। हमारे साथी नरेन्द्र सिंह जी ने पढ़कर मुझसे प्रश्न किया कि यह लेख आंशिक रूप से संघ परिवार के पक्ष मे अधिक झुका हुआ है जो हमारी अब तक की नीतियों मे कुछ बदलाव दिखता है। नरेन्द्र जी व्यवस्थापक के लिये सर्वोच्च नीति निर्धारक दस महत्वपूर्ण साथियों मे से एक हैं। इसलिये इस प्रश्न पर कुछ अधिक विस्तार से समीक्षा की आवश्यकता है।

नीति निर्धारण कई दृष्टिकोणों को एक साथ मिलाकर होता है। किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति किये जाने वाले व्यवहार मे इन सबका समावेश होता है। 1 सिद्धान्त और नीति का अंतर। सिद्धान्त दीर्घ कालिक नीति होती हैं जबकि नीति सिर्फ अल्पकालिक ही होती है। 2 व्यवहार के आठ आधारों की कसौटी। क-सहभागिता ख- सहयोग ग- समर्थन ध- प्रशंसा च- समीक्षा छ- आलोचना ज-विरोध झ- शत्रुता। आठों के व्यवहार और नीति बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। 3 बेस्ट पौसिवुल अर्थात् परिस्थिति जन्य सर्व श्रेष्ठ संभावना। 4 भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान मे फर्क 5 संस्था और संगठन का फर्क। ये दोनों बिल्कुल भिन्न होते हैं। 6 कर्तव्य और दायित्व का फर्क समझना। ये भी भिन्न होते हैं 7 किया और प्रतिक्रिया मे फर्क 8 किसी संगठन मे सक्रिय और निष्क्रिय सदस्य मे फर्क। इन आठ दृष्टिकोणों पर विस्तृत चर्चा करना संभव नहीं। निश्चित ही इन पर कई प्रश्न आयेगे तब विस्तार से चर्चा होगी किन्तु जे एन यू विवाद से जुड़े पक्षों पर मेरा या हमारा दृष्टि कोण क्या है और क्या होना चाहिये इस पर विस्तृत चर्चा होगी।

1. (1) मैं लोक स्वराज्य तथा अपराध नियंत्रण को सिद्धान्त मानता हूँ और अहिंसा को नीति। स्पष्ट कर दूँ कि मैं बचपन से लेकर आज तक आर्य समाज से प्रभावित हूँ। जहाँ अहिंसा को मार्ग माना गया है लक्ष्य नहीं। (2) मैं कट्टर हिन्दुत्व को श्रेष्ठतम् विचार धारा मानता हूँ तथा साम्यवाद को निकृष्टतम्। मैं व्यवस्थापक के साथ सहभागी, अन्ना हजारे सर्वोदय आर्य समाज का सहयोगी, नरेन्द्र मीदी नीतिश कुमार का समर्थक, मनमोहन सिंह अरविन्द केजरीवाल, प्रशान्त भूषण योगेन्द्र यादव का प्रशंसक, विशेष उल्लेख से भिन्न का समीक्षक, संघ परिवार तथा राजनीति मे बढ़ते परिवारवाद का आलोचक, कट्टरवादी इस्लाम का विरोधी तथा वामपंथ को शत्रु के रूप मे देखता हूँ। मैंने बीस वर्ष पूर्व अपनी हिन्दू मुस्लिम नीतियों की विवेचना करते हुए अपनी पुस्तक मे लिखा था कि धार्मिक आधार पर चार सम्प्रदाय होते हैं।

1 जो मान्यता मे कट्टरवादी हैं तथा आचरण मे भी कट्टरवादी हैं। (दूसरों के मूल अधिकारों का हनन करते हैं।)

2 जो मान्यता मे शांतिप्रिय हैं और आचरण मे कट्टरवादी।

3 जो मान्यता मे कट्टरवादी हैं परन्तु आचरण मे शांतिप्रिय।

4 जो मान्यता तथा आचरण दोनों मे शांतिप्रिय हैं। कट्टरवादी मुसलमान पहले श्रेणी मे, कट्टरवादी हिन्दू दूसरी श्रेणी मे, शांतिप्रिय मुसलमान तीसरी श्रेणी मे और शांतिप्रिय हिन्दू चौथी श्रेणी मे आते हैं। हमे पहली श्रेणी को तत्काल नष्ट कर देना चाहिये तथा दूसरी को भी नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिये तीसरी श्रेणी का हृदय परिवर्तन और चौथी श्रेणी का अनुकरण उपयुक्त मार्ग है।

इतना लिखना स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है। (3) परिस्थितियां निरंतर बदलते रहने से नीतियों मे भी तात्कालिक बदलाव संभव है। दो वर्ष पूर्व तक भाजपा का एक मार्ग था। अन्य राजनैजिक दल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण तक सीमित थे किन्तु वामपंथ से उनका तालमेल नहीं था। अल्पसंख्यकों का भी साम्यवाद से मोहभंग हो रहा था। नई परिस्थितियों मे सीधा ध्रुवीकरण दिखता है जिसमे कट्टरपंथी मुसलमान और वामपंथी का एकीकरण हो गया है तथा पूरा विपक्ष ऐसे एकीकरण के पक्ष मे खड़ा हो गया है। (4) भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान मे फर्क होता है। हिन्दू आमतौर पर भावना प्रधान, मुसलमान भी अधिकांश भावना प्रधान तथा वामपंथी आमतौर पर बुद्धि प्रधान होता है। बुद्धि प्रधान मोटिवेटर तथा भावना प्रधान मोटिवेट होता है। भावना प्रधान पीछे पीछे चलता है और बुद्धि प्रधान चलता है। संपूर्ण भारत मे सबसे ज्यादा भावना प्रधान संघ परिवार मे तथा सबसे अधिक बुद्धि प्रधान साम्यवाद मे पाये जाते हैं। (5) संस्था हमेशा समाज सहायक होती है तथा संगठन समस्या पैदा करने वाले। संस्था कर्तव्य प्रधान होती है तथा संगठन अधिकार प्रधान। अधिकांश बोहरा या सुफी मुसलमान, गायत्री परिवार, आर्य समाज, सर्वोदय आदि का व्यवहार संस्थागत होता है और संघ परिवार, अधिकांश मुसलमान, तथा साम्यवाद का संगठनात्मक। (6) कर्तव्य और दायित्व मे फर्क होता है। सभी व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हम सबका दायित्व होता है। सामाजिक संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हमारा दायित्व नहीं होता, सिर्फ कर्तव्य हो सकता है। (7) तीन संगठनों की कार्य प्रणाली एक समान होती है। क-संघ परिवार ख- मुस्लिम संगठन ग- वामपंथी। तीनों मे भी वामपंथी हमेशा ही किया करते हैं, मुस्लिम संगठन कभी किया तो कभी प्रतिक्रिया तथा संघ परिवार हमेशा प्रतिक्रिया करता है। जे एन यू मामले मे भी वामपंथ कट्टरवादी मुस्लिम गठजोड ने किया की संघ परिवार ने प्रतिक्रिया की। गठजोड ने बड़ी चालाकी से किया करते हुए उसे नारे बाजी से कहन्हैया कुमार की ओर मोड दिया। (8) वामपंथ से जुड़ा हर कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय रहता है जबकि संघ परिवार या मुसलमानों मे

अधिकांश लोग संगठन के साथ जुड़े हुए भी निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय लोग किसी किया मे शामिल नहीं होते किन्तु प्रतिक्रिया मे शामिल हो जाते हैं।

हम सब साथी व्यवस्थापक के सहभागी हैं। हमारा लक्ष्य है लोक स्वराज्य। तीन संगठन लोक स्वराज्य मे बाधक है। 1 संघ परिवार, 2 इस्लाम 3 वामपंथ। इस्लाम और वामपंथ ने हाथ मिला लिया है। भाजपा को छोड़कर अन्य सभी विपक्षी पार्टीया विभिन्न कारणो से इस गठजोड के पक्ष मे खड़ी हो गयी हैं। एक तो गठजोड के समक्ष संघ परिवार कमजोर दिखने लगा है। दूसरा यह कि गठजोड मे बुद्धिजीवी योजनाकारो की अधिकता है जबकि संघ परिवार कमजोर दिखने लगा है। दूसरा यह कि गठजोड मे बुद्धिजीवी योजनाकारो की अधिकता है जबकि संघ परिवार मे नासमझ भेड़चाल चलने वालो की। तीसरी बात यह है कि नरेन्द्र मोदी संघ परिवार के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं न कि संघ की सरकार है। ऐसी स्थिति मे गठजोड का निर्णायक रूप से मजबूत होना लोक स्वराज्य की संभावनाओ के लिये अधिक घातक है, और संघ परिवार का निर्णायक रूप से मजबूत होना कम घातक है। क्योंकि मोदी और संघ एक हो जायेगे यह आवश्यक नहीं। दूसरी बात यह है कि संघ को विदेशी शक्ति नहीं मिलती। गठजोड को विदेशी शक्ति भी मिल सकती है।

फिर भी मैंने अपनी नीति मे अब तक कोई बदलाव नहीं किया। वह अब भी पूर्वव्रत है किन्तु यदि जठजोड के समक्ष संघ परिवार के पराजित होने की संभावना दिखी तो हम आप सब बैठक नई नीति पर चर्चा करेंगे।

याद रखिये कि वर्तमान मे बुद्धिजीवी निर्माण के सिर्फ दो ही केन्द्र भारत मे है। 1 जे एन यू 2 ज्ञान यज्ञ परिवार। जे एन यू आतंकवादी उग्रवादी तानाशाह तैयार करता है तो ज्ञान यज्ञ परिवार आप जैसे लोक स्वराज्य समर्थक बुद्धिजीवी। जे एन यू एक तूफान के समान स्थापित है तो ज्ञान यज्ञ परिवार दीपक के समान टिमटिमाता हुआ। जे एन यू को विश्व व्यापी समर्थन है तो ज्ञान यज्ञ परिवार को मात्र एक ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका का। फिर भी इतना संतोष है कि विभिन्न कारणो से ज्ञान यज्ञ परिवार एक से दो तीन की दिशा मे बढ़ रहा है तो जे एन यू निन्यानवे से अठान्नवे सन्तान्वे की ओर।

2 जे एन यू की घटना और भारत का इलेक्ट्रानिक मीडिया

मैंने प्रारंभ में ही स्पष्ट लिख दिया था कि जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी की घटना गाँधी हत्या के बाद होने वाली सर्वाधिक गंभीर और परिवर्तनकारी घटना है। गाँधी हत्या ने वामपंथ और कट्टरपंथी इस्लाम को एक ऐसा अवसर प्रदान किया था, जिसके बल पर इन दोनो ने मिलकर भारत में शांतिप्रिय हिन्दुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा। अब समय बदला है और उस विचारधारा को दूसरी वैसी ही संघ परिवार समर्थक विचारधारा से तगड़ी चुनौती मिल रही है। संघ परिवार भरसक चाहता है कि बदले में उन लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जाये, जिन्होने 67 वर्षों तक गाँधी हत्या की घटना के नाम पर देश को ब्लैकमेल किया। जे एन यू की घटना ने वह अवसर दे दिया है, और दूसरा पक्ष उसी तरह कटघरे में खड़ा है जिस तरह उस समय से लेकर 67 वर्षों तक संघ खड़ा रहा। यह अंतर अवश्य है कि उस समय संघ ने दबकर, माफी मांगकर, गाँधी को अपने प्रातः स्मर्णीय, में शामिल करके, किसी तरह अपना काम निकाला था किन्तु अभी जे एन यू की घटना के बाद भी विपक्ष मुकाबला करने के मूड में है। क्या परिणाम होगा पता नहीं।

घटना ने देश के अधिकांश समूहों को दो गुटो में बांट दिया है। मीडिया भी उससे अछूता नहीं रहा। अब तक मीडिया एक संगठन था जो आपस में चाहे जितनी प्रतिस्पर्धा करें किन्तु मौका पड़ने पर सभी न्याय अन्याय को न देखते हुए एकजुट हो जाते थे। जे एन यू की घटना के बाद मैं विशेष रूप से दीपक चौरसिया का इंडिया टी बी, रोहित सरदाना की जी टी बी और रविश कुमार को एन डी टी बी में लगातार देखता रहा हूँ। यहाँ मैं आपको अपनी धारणा स्पष्ट कर दूँ कि मैं विचार को मैं एन के सिंह और अभय दुबे तथा एंकरों मैं रविश कुमार को अधिक सुनता रहा हूँ। जे एन यू की घटना के तत्काल बाद ही यह स्पष्ट दिखने लगा था कि जी टी बी और इंडिया टी बी आंख बंद करके भाजपा और संघ परिवार के पक्ष में जा रहे हैं इस सीमा तक भी कि पक्षपात बिल्कुल साफ दिख रहा था। दूसरी ओर मैंने यह भी देखा कि एन डी टी बी पूरी तरह आंख बंद करके जे एन यू मामले में भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ खड़ा था। मैं जब भी देखता था तब मैं रविश कुमार को सुनता था तो ऐसा लगता था कि वे ठीक बोल रहे हैं और जब मैं दीपक चौरसिया, रोहित सरदाना को सुनता था तो फिर मेरी धारणा बदल जाती थी और मैं इसी के बीच झूलता रहा। मैंने अभय दुबे और एन के सिंह जी को भी दो अलग अलग समूहों के पक्ष में खड़ा देखा। यद्यपि दोनो तर्कों तक सीमित थे तथा अपनी निष्पक्षता पर खुलकर आंच नहीं आने दे रहे थे। लेकिन टी बी चैनल वाले तो ऐसा आचरण कर रहे थे जैसे कि वे अलग अलग पक्षकारों के वकील बन गये हों।

आज मैंने रविश कुमार का एक गंभीर आवाज वाला भावना प्रधान वक्तव्य सुना और मुझे लगा कि रविश कुमार बिल्कुल ठीक प्रश्न उठा रहे हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए न कि भीड़तंत्र को जो कानून से भी उपर अपना निर्णय देने लगे। उसके तत्काल बाद मैंने इण्डिया टी बी पर एन के सिंह जी का जबाब सुना कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए था और कन्हैया कुमार को बिना जांच पड़ताल के निर्दोष सिद्ध करने का दबाव बनाना गलत था। प्रश्न उठता है कि यह दबाव बनाने का कार्य कहां से शुरू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर मैं देना नहीं चाहता क्योंकि मामला जे एन यू की घटना तक सीमित नहीं है। बल्कि दो संगठित समूहों के बीच इस बात की लड़ाई है कि भारत में कमजोर होते लोकतंत्र का दुरुपयोग करने में कौन आगे रहेगा। एक पक्ष 67 वर्षों तक दूसरे को दबाकर दुरुपयोग करता रहा तो दूसरा पक्ष भी अब वही करना चाहता है। मुझे रविश कुमार द्वारा प्रस्तुत भावनात्मक भाषण सुनने के बाद यह संदेह पैदा हुआ कि यह एन डी टी बी चैनल की नीतियों के आधार पर रविश कुमार को ऐसा करना पड़ा था या यह रविश कुमार की व्यक्तिगत पीड़ा थी। मैं दीपक चौरसिया और रोहित सरदाना से कभी प्रभावित नहीं रहा और इसलिए मुझे कोई झटका नहीं लगा। मैं सोचता हूँ कि यदि कोई गुण्डा मोहल्ले को परेशान करके उस पर अत्याचार कर रहा हो और कोई दूसरा गुण्डा जो उसके समकक्ष हो आकर उसके साथ भिड़ जाये तो मुझे किसी के साथ क्यों न्याय की बात करनी चाहिए? यह बात तब हो सकती है जब एक गुण्डा परास्त हो जाये और फिर भी दूसरा उस पर आक्रमण करता रहे। स्पष्ट है कि गांधी हत्या के बाद संघ परास्त की मुद्रा में था और आज संघ विरोधी बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रविश कुमार को अपनी साख दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी, जिस तरह एन के सिंह जी और अभय दुबे ने अपनी बात कहते हुए भी अपनी साख दांव पर नहीं लगाई। मैंने रविश कुमार के भावनात्मक वक्तव्य को तीन बार सुना और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि रविश कुमार अन्य टी बी ऐकरों की तरह कहीं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में अपनी साख तो नहीं घटा रहे हैं।

मैंने जे एन यू प्रकरण पर पिछले दिनों में कई बार अपने विचार व्यक्त किये। मेरे कुछ साथियों को ऐसा लगा कि मेरे इस तरह के विचार से व्यवस्था परिवर्तन अभियान के संगठन को कुछ क्षति हो सकती है। क्योंकि वे मुझे अपना संरक्षक मानते हैं।

इस प्रश्न पर भी मैंने विचार किया। पहली बात तो यह है कि मैं इस संगठन का संरक्षक नहीं। संरक्षक तो वात्सल्य जी, विजय कौशल जी तथा पौराणिक जी ही हैं। यदि आप लोग मुझे संरक्षक मानते हैं तो यह आपके द्वारा प्रदर्शित सम्मान तक सीमित है, उसके आगे नहीं, क्योंकि मैं किसी रूप में अपने को संगठन का संरक्षक नहीं मानता। यहाँ तक कि मैं सलाह या सहायता भी कभी विशेष आमंत्रित के रूप में ही देता हूँ न कि आपकी किसी बैठक में अधिकृत रूप से आकर।

दूसरी बात यह भी है कि मैं एक विचारक हूँ और अब विचार से आगे बढ़कर मैंने वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया है, तथा मैं धीरे धीरे सन्यास की दिशा में बढ़ रहा हूँ। इसका अर्थ है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में किसी भी संगठन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। संगठन का एक अनुशासन होता है और मैं स्वअनुशासन के अतिरिक्त किसी अन्य का अनुशासन स्वीकार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैं राष्ट्र या देश हित के मामले में भी किसी अनुशासन से बंधा नहीं हूँ।

मेरे स्वतंत्र लेखन से आपके संगठन को कोई क्षति न हो इसका मैं स्वयं ख्याल रखता हूँ। किन्तु मैं आपके संगठन के लिए अपनी निष्पक्षता को नहीं छोड़ सकता। मैंने कुछ वर्ष पूर्व मनमोहन सिंह को देश का स्वतंत्रता के बाद का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री लिखा था और मैं आज भी इस बात से सहमत हूँ, यहाँ तक कि नरेन्द्र मोदी की तुलना में भी। हमारे अनेक साथियों ने लगातार मेरे इस विचार का विरोध किया था। मैं वर्तमान परिस्थितियों में नरेन्द्र मोदी को अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में अच्छा प्रधानमंत्री मान रहा हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। हमारे साथियों का विचार भिन्न भी हो सकता है। मेरे जो विचार हैं वे संगठन के लिए विचार मंथन तक सीमित है, उसके आगे नहीं। मैं समझता हूँ कि जे एन यू प्रकरण में मेरे लिखने से संगठन के साथ जुड़े वामपंथी, कांग्रेसी, आप पार्टी समर्थकों को कुछ कष्ट हो सकता है, और वे मुझे संघ की ओर झुका हुआ कह सकते हैं। किन्तु आप सब जानते हैं कि आपका संगठन सिर्फ चार मुद्दों तक सीमित है, और चार मुद्दों को छोड़कर किसी भी विषय का संगठन से कोई संबंध नहीं है। इन चार मुद्दों पर मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, जो संगठन के विपरीत जाती हो। यद्यपि यदि कभी ऐसी गम्भीर आवश्यकता पड़ी तो मैं संगठन के विरुद्ध भी कुछ लिखने की, बोलने की

अपनी स्वतंत्रता कायम रखता हूँ। आशा है कि आप मेरी स्वतंत्रता को समझेंगे। 13 जून 14 से 22 जून तक के 10 दिवसीय आयोजन में जब संगठन की नीव रखी गई थी उस समय मैं भी कार्यक्रम में शामिल था। वहाँ भी यही तय हुआ था कि संगठन चार मुद्दों पर अपना संगठन विस्तार करेगा, तथा मैं ज्ञानयज्ञ परिवार तथा ज्ञानतत्व पाक्षिक की सहायता से दुनिया में फैले सत्य के समान स्थापित असत्य को वैचारिक आधार पर चुनौती देंगा। मैं देख रहा हूँ कि आप ठीक दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और मैं भी ठीक दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे।

3 श्री संजय तिवारी ने जे एन यू विवाद पर मेरे विचारों को पढ़ने के बाद एक प्रश्न किया है कि आप कभी पूरी तरह संघ परिवार के पक्ष में खड़े देखते हैं, तो कभी पूरी तरह उसके विरुद्ध। समझ मे नहीं आता कि आप अंतिम रूप से क्या कहना चाहते हैं और किसके पक्ष में खड़े हैं।

मैंने इस प्रश्न पर भी बहुत विचार किया। स्पष्ट है कि मैं विचार मंथन पर जोर देता हूँ, विचार प्रचार पर नहीं। मंथन का अर्थ होता है गुण दोष के आधार पर विषय की समीक्षा। मेरा स्वभाव है कि यदि संघ परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी अन्य विरोधी पर तर्कहीन आकमण करता है या संघ परिवार के विचार प्रचार मे लगा हुआ होता है तो मैं पूरी तरह ऐसे तर्कहीन विचार प्रचार का खंडन करता हूँ। किन्तु यदि मैं देखता हूँ कि कोई संघ विरोधी तर्कहीन आधार पर संघ पर आकमण करता है तो मैं उस आकमण का भी उतनी ही ताकत से विरोध करता हूँ। मैं न कभी किसी के पक्ष मे हूँ न ही किसी के विरोध मे। मेरे विचार मे अधिकांश मामलो मे अंतिम सत्य कोई नहीं है और इसलिये मैं विचार मंथन को विस्तार देने के लिये और संगठनों के प्रति प्रतिबद्धता पर चोट करने के लिये इस प्रकार अलग अलग तरह के विचार रखता हूँ। मेरा उददेश्य कोई संगठन बनाना नहीं है कि कोई मेरे उत्तरो से नाराज हो जायेगा। मुझे खुशी होती है कि यदि किसी की भावना को चोट लगती है। मैं इसका अर्थ यह समझता हूँ कि वह थोड़ा सा विचार मंथन की दिशा मे आगे बढ़ेगा। दुसरी बात यह है कि किसी को अच्छा या बुरा बताने के पहले यह देखना आवश्यक है कि उसकी तुलना किससे हो रही है। न कोई अंतिम रूप से अच्छा है न कोई बुरा। यदि लोकतंत्र की तानाशाही से तुलना होगी तो लोकतंत्र अच्छा कहा जायेगा। और लोकतंत्र की तुलना लोक स्वराज्य से होगी तो लोकतंत्र बुरा कहा जायेगा। अरविन्द केजरीवाल की चर्चा करते समय उनकी तुलना नीतिश कुमार से होगी तो अरविन्द केजरीवाल को बुरा माना जायेगा और उन्हीं की तुलना लालू प्रसाद यादव से होगी तो उन्हे अच्छा माना जायेगा। इसका अर्थ हआ कि संघ परिवार की तुलना जब अतिवादी इस्लाम और साम्यवाद से होती है तब संघ परिवार को अच्छा कहा जाता है, और जब संघ परिवार की तुलना गांधीवादियों या हिन्दुत्व से होती है तो संघ परिवार को बुरा कहा जाता है। मेरे विचार मे तुलना करते समय संदर्भ को ध्यान मे रखना आवश्यक होता है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूँ कि मैं किसी विचार प्रचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ विचार मंथन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे निकाले गये निष्कर्षों को स्वीकार कर ले बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि आप भी स्वयं निष्कर्ष निकालने की अपनी क्षमता का विकास करें। मुझे खुशी होगी, जब सब प्रकार के संगठनों के प्रति प्रतिबद्धता कमजोर होगी और कुछ लोग तटस्थ भाव से विचार मंथन मे आगे आयेंगे।

प्रश्नोत्तर

क्या हम सब राष्ट्र विरोधी नहीं हैं?

चेतन भगत, अंग्रेजी के युवा उपन्यासकार

यह हो क्या रहा है? पहले सारा मामला भाजपा बनाम शेष था, बाद में यह सहिष्णु बनाम असहिष्णु का मामला हो गया। अब यह राष्ट्रवादी और राष्ट्र-विरोधी का मामला बन गया है। कुछ बच्चों ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जेएन यू में क्लासरुम में होने वाले व्याख्यानों की बजाय सर्वाधिक विरोध प्रदर्शन होते हैं। हालांकि इस लेख में जेएनयू पर कोई फैसला नहीं दिया जा रहा है। यह उस वक्त के बारे में है जब यूनिवर्सिटी ने ऐसा व्यवहार शुरू किया। इस लेख का उददेश्य इसकी व्याख्या करना है, क्योंकि राष्ट्र-विरोधी, भारत-विरोधी लैबल लगाने का काम जारी है? अवॉर्ड वापसी से लेकर जेएनयू विरोध तक किसी न किसी को हमेशा पाकिस्तान जाने को कहा जाता है। क्यों? कृपया गौर करें कि इस लेख में किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। जब दोनों पक्ष के लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे हों, तो बेहतर यही होगा कि सारा कुछ चुपचाप देखते रहें।

तो हो क्या रहा है? अनिवार्य रूप से भारतीय राजनीति इस एक समीकरण से संचालित है डी+एम>एच किताबी ढंग से कहने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे जरा समझाने दीजिए। 'डी' का मतलब है दलित बल्कि आरक्षित जाति के सभी वोटर(एससी/एसटी/पिछडे/ओबीसी) आप इन्हे दलित वोट भी कह सकते हैं। 'एम' का मतलब है मुस्लिम वोट। आप मुझे अल्पसंख्यक यानी माझनाँरिटी वोट कह सकते हैं। 'एच' का मतलब है हिन्दू वोट। 'ग्रेटर देन' के विन्ह का अर्थ है कि दलित व अल्पसंख्यकों के वोट मिलकर हमेशा ही सर्व हिन्दुओं से ज्यादा होते हैं। मात्रा निश्चित करना तो मुश्किल है, लेकिन मोटेतौर पर 'डी' 40 फीसदी, 'एम' 20 और 'एच' 40 फीसदी है। बेशक, समीकरण जरुरत से ज्यादा सरल बनाया गया है। किन्तु इससे देश में आज के पॉलिटिकल डायनामिक का अंदाज होता है। उक्त समीकरण का अर्थ है कि सामान्य परिस्थितियों में भाजपा लगभग कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। आश्वर्य नहीं कि स्वतंत्रता के बाद के 69 वर्षों में भाजपा 7 वर्षों से भी कम समय तक सत्ता में रहे हैं। भाजपा के सत्ता में आने का एक ही रास्ता है कि निम्न में से कुछ हो जाए।

एक डी+एम वोट इसलिए बंट जाए, क्योंकि इस वोट के लिए कई दल होड़ करने लगे। दो डी और एम किसी खास चुनाव में किसी न किसी वजह से अलग हो जाए। तीन भाजपा ऐसा करिश्माई प्रत्याशी खड़ा करती है, जो कुछ डी और यहाँ तक कि एम वोट को भी एच की ओर खींच लाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह सब हुआ और मोदी को जीत मिली। बिहार चुनाव में भाजपा विरोधी दलों ने सुनिश्चित किया कि डी+एम न बंटे और उन्हें जीत मिली। 2015 के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ डी+एम के वोट लिए, इसने एच का अच्छा खासा हिस्सा भी अपने साथ मिलाने में कामयाबी हासिल की। ऐसा क्यों है कि डी+एम वोट लगातार एच के खिलाफ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डी और एम दोनों उंची जातियों के हिन्दुओं द्वारा प्रताड़ित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उंची जाति के हिन्दुओं ने उन्हें अवसरों से वंचित रखा। डी+एम वोटों का इतना बड़ा हिस्सा है कि कई राजनीतिक दल उन्हें लुभाने में लग जाते हैं। डी और एम को उपर उठाने का अंतिम समाधान तो इन समुदायों में ही है कि वे शिक्षा और आधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित करें। चूंकि यह ज्यादा कठिन है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल ऐसे एजेंडे से चिपके रहते हैं, जिसमें एच और एच के अकांक्षाओं पर हमले किये जाते हैं। जिसमें एच और एम वोट का लाभ उठाया है। सपा, बसपा, तृणमूल, राजद, और जद-यू ऐसे अन्य दलों के उदाहरण हैं, जिनकी इस वोट पर नजर रही है। यहाँ तक कि आप को भी इस वोट की कीमत का अहसास है। इसी वजह से वह लगातार मोदी पर हमले करती है। (डी एम वोट किसे चाहिए यह जानना हो तो इसका टेस्ट यह देखना है कि दलित या मुस्लिम संबंधी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मौके पर कौन सा राजनेता वहाँ पहुंचता है।)

इस बीच एच वोट चीजों को अलग ढंग से देखता है। उसे नहीं लगता कि वह किसी का शिकार हुआ है, इसलिए उसमें बदला लेने की कोई अंतनिहीत भावना नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि एच बेहतर भारत का सपना भी देख सकता है। वह ऐसे राष्ट्र की हसरत रखता है जो संपन्न हो, स्वतंत्र हो और दुनिया में जिसका सम्मान हो। चूंकि डीएम एच को रुष्ट करना चाहता है, इसलिए जब भी एच की आकांक्षाएं भंग होती हैं तो प्रायः यह इसका लुत्फ उठाता है। यहीं पर राष्ट्र विरोधी होने का मामला जन्म लेता है। वह सोचता है कि आरक्षण तुष्टीकरण करने वाली नीतियों के बाद भी डीएम आगे बढ़कर हमारी अपेक्षाओं में सहभागी क्यों नहीं बनते? डी एम सोचते हैं कि जब हम पीड़ित हैं तो एच बड़ा सपना देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? भारत का पहला दायित्व हमारे प्रति है। एच अपनी हसरतें हम पर थोपने की हिम्मत कैसे करता है?

यही मूलभूत संघर्ष हमारी रोजमर्रा की राजनीति, खबरों और बहस को जन्म देता है। दुख की बात तो यह है कि इससे असली राष्ट्र विरोधियों को हमारे बीच घुस आने और हमें विभाजित करने का मौका मिल जाता है। हालांकि डी एम वोट चाहने वाली पार्टीया इसकी पर्याप्त निंदा नहीं करती कि कहीं एम वोट खिसक न जाए। इसी तरह कोई हाशिये पर पड़ा हिन्दू गुट चौंका देने वाला हिन्दुत्ववादी बयान दे देता है। भाजपा भी इसकी पर्याप्त आलोचना नहीं करती कि कहीं एच वोट नाराज न हो जाए। डी एम और एच के सतत संघर्ष में शिकार एक ही होता है भारत। समीकरण इस प्रकार होना ही नहीं चाहिए। डी एम एच बेहतर कॉम्बिनेशन है और ये बदला लेने की बजाय असली मुद्दों के आधार पर फैसला ले सकते हैं कि किसे वोट देना चाहिए। राजनेताओं को इनमें विभाजन पसंद है। इससे उन्हें असली काम पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय सिर्फ संघर्ष को बढ़ावा देकर प्रासांगिक बने रहने में मदद मिलती है। और ऐसा लगता है कि हम नागरिक भी इससे उबर नहीं पाते। किन्तु यदि हम सब एक साथ नहीं आते तो क्या हम सब राष्ट्र विरोधी नहीं हैं?

डी को एच के साथ एकजुट होना चाहिए और विभाजन बढ़ाने वाले शाश्वत आरक्षण के बजाय कोई बेहतर योजना लानी चाहिए। ऐसे को यह समझना चाहिए कि भारत पहले और धर्म बाद में है। एच को चाहिए कि वह अपनी संस्कृति या दृष्टिकोण दूसरों पर न थोपे, क्योंकि हर कोई इनकी तरह नहीं सोचता। सबको एकसाथ आना होगा। सारे पक्षों को सुनना होगा और मतभेद दूर करने होंगे। कोई डी ऐसा या एच नहीं है। हम सबको केवल आई की जरूरत है, जो इंडिया यानी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और जब हम सच्चे राष्ट्रवादी होते हैं तो यही होता है।

उत्तरः— आपने जो विचार व्यक्त किया है वह बहुत ही सुलझा हुआ है। दो बातें विचारणीय हैं—1. राष्ट्रवाद और हिन्दुत्व के बीच कैसा तालमेल होना चाहिए। 2. भारतीय राजनीति की वर्तमान स्थिति में संघ परिवार को क्या करना चाहिए। हिन्दुत्व का अर्थ कभी राष्ट्रवाद नहीं रहा है बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम आदर्श रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ परिवार, गाँव, समाज, जिला, प्रदेश और राष्ट्र का सम्पूर्ण समर्पण नहीं होता। वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ होता है अपने अस्तित्व को बचाते हुए उपर वाली इकाई के साथ तालमेल बैठाना। इसका अर्थ हुआ कि उपर वाली इकाई की गुलामी नहीं और उपर वाली इकाई से सम्पूर्ण स्वतंत्रता भी नहीं। दोनों अपनी स्वतंत्रता को बचाते हुए एक दूसरे के पूरक होते हैं। साम्यवाद तथा इस्लाम का अर्थ होता है विश्व व्यवस्था की गुलामी और संघ परिवार का अर्थ होता है विश्व व्यवस्था से सम्पूर्ण स्वतंत्रता। मेरे विचार से दोनों ही गलत हैं और यदि दोनों में से किसी एक को अधिक गलत मानना हो तो संघ परिवार की अपेक्षा साम्यवादी इस्लामिक गठजोड़ अधिक गलत होगा।

भारतीय राजनीति का आपने जो विश्लेषण किया यह विश्लेषण संघ परिवार को समझाने की जरूरत है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि मेरे व्यक्तिगत विचार में संघ परिवार एक नासमझों की टोली है जो कोई भी अच्छी बात कभी समझ ही नहीं सकते क्योंकि समझने के लिए कुछ दिमाग की जरूरत पड़ती है जो इनके पास नहीं होता। दूसरी ओर वामपंथ केवल बुद्धिजीवियों का ही एक समूह है जिन्हें अपनी राजनैतिक तिकड़म के अलावा किसी की कोई बात न सुननी है न समझनी है। वामपंथी लोग इतने अधिक चालाक होते हैं कि वे संघ परिवार को भी अपने अनुसार न चारते रहते हैं, और संघ परिवार उसी अनुसार नाचता है। आपने जो समीकरण दिया है उस समीकरण में डी और ऐस का बहुमत बनाने की सारी योजना वामपंथियों की है। वामपंथी चाहते हैं कि संघ परिवार ऐसे से इतना दूर रहे, इतना अधिक टकराव में रहे कि ऐसे मजबूर होकर सी के साथ जुड़ जाये। हुआ भी यही कि ऐसे इसके साथ जुड़ गया। अब वामपंथी लगातार डी पर ध्यान दे रहे हैं, और मैं देख रह हूँ कि धीरे धीरे डी भी उसी गुट में चला जायेगा और उन सबका एक ही कारण होगा कि एच न संघ के साथ जुड़ पा रहा है और न ही उससे अलग हो पा रहा है। महिषासुर चर्चा ने आंशिक रूप से डी को एच से दूर ही किया है, नजदीक नहीं। भागवत जी की आरक्षण चर्चा भी डी को एच से दूर ही कर रही है। जबकि इन सब चर्चाओं से एच मजबूत नहीं हो रहा है। यदि संघ परिवार के लोगों में थोड़ी भी समझदारी होती तो ये ऐसे और डी की चर्चा छोड़कर सिर्फ डी के विरुद्ध ध्युवीकरण करते। सी का अर्थ कम्यूनिस्ट या वामपंथी होना चाहिए। इन्हें हिन्दू राष्ट्र का नारा दफन कर देना चाहिए। इन्हें राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रवाद की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। इन्हें तो केवल वर्ग संघर्ष के विरुद्ध वर्ग समन्वय की चर्चा करनी चाहिए। जिसका अर्थ होगा सी से निपटना। व्यक्तिगत चर्चाओं में संघ परिवार के लोग अच्छी तरह मानते हैं कि सी सबसे बड़ा खतरा है किन्तु सौ वर्ष पूर्व हेडगेवार जी ने उस समय की परिस्थितियों में ऐसे को खतरा बताया था इसलिए ये चाहे परिस्थितियों जितनी भी बदल जायें किन्तु अपने संस्कारों में संशोधन नहीं कर सकते। आवश्यकता इस बात की है कि ना समझों के नेतृत्व से पिंड छुड़ाकर तथा उन्हें नाराज न होने देकर सी के विरुद्ध भारतीय राजनीति का वातावरण बने। यदि संघ परिवार को सी अपने अनुसार चला सकता है तो कोई कारण नहीं कि एच उसे अपने साथ आसानी से न चला सके।

2 मीलिंद गुप्ता—फेस बुक से

प्रश्न— इस पर किन्चित प्रकाश डालिये कि किस प्रकार परिवार व्यवस्था को तोड़ कर नेताओं को फायदा हो रहा है? यह सही है कि भारत में नियम कानून, विधि-विधान महिला के पक्ष में हैं जिसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। परिवारों के दूटने में विधायिका को अपरोक्ष रूप से मैं उत्तरदायी मानता हूँ, परन्तु इससे नेताओं को क्या लाभ पहुँच रहा है, यह समझ पाने में मैं असमर्थ हूँ। धर्म अथवा जाति के नाम पर तोड़ने से ध्युवीकरण होता है जिसका

चुनाव में लाभ होता है किन्तु परिवार के टूटने से कोई धुवीकरण नहीं होता, तो फिर इससे नेताओं को क्या लाभ पहुँच रहा है? कृपया विस्तारपूर्वक विवेचना करें।

उत्तर:—आपका प्रश्न पहले ही मिल गया था किन्तु विषय गंभीर है, इसलिए उत्तर देने में देर हुई। मैंने जो नारा लिखा था वह इस प्रकार था—हिन्दू मुस्लिम, जात—पात पर तोड़ दिया संसार को, देश के नेता कुछ तो छोड़ो, मत तोड़ो परिवार को। मैंने इस नारे में यह लिखा है कि दुनिया की राजनीति ने धर्म—जाति, गरीब—अमीर, महिला—पुरुष के नाम पर सम्पूर्ण समाज को अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया। भारत में भी इन सब विभाजनकारी आधारों पर समाज को तोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। किन्तु पूरी दुनिया में परिवार व्यवस्था को वैसी मान्यता प्राप्त नहीं है जैसी भारत में है। इसलिए वहाँ परिवार व्यवस्था का अभाव होने से उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत में परिवार व्यवस्था मजबूती से चल रही है। अब इस परिवार व्यवस्था को भी महिला और पुरुष के बीच धुवीकरण करके तोड़ने की कोशिश हो रही है। यह कोशिश पश्चिम मॉडल के लोकतंत्र तथा साम्यवादी मॉडल के समाजवाद की नकल करने का परिणाम है अथवा कोई सोची समझी साजिश, यह तो मैं नहीं कह सकता, किन्तु यह भारत में लगातार हो रहा है, और इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। इसलिए ही मैंने निवेदन किया कि नेता लोग कम से कम परिवारों को तोड़ने की प्रवृत्ति से अलग रहें।

एक बात और है कि धुवीकरण की शुरुवात में ही धुवीकरण कराने वालों को लाभ नहीं होता, बल्कि धुवीकरण हो जाने के बाद होता है। महिला और पुरुष के बीच धुवीकरण अभी प्रारंभिक चरण में है। किन्तु यह धुवीकरण यदि बढ़ता रहा और परिवार टूटते रहे तो ऐसा धुवीकरण राजनैतिक नेताओं के लिए लाभदायक होना संभव है। राजनैतिक बिरादरी दूरगामी योजना बनाकर चल रही दिखती है।

3 श्री संजय तिवारी, दिल्ली

प्रश्न:—आज 29 फरवरी का दिन पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक हो गया है। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि मजहबी मानसिकता पर इंसानी कानून की जीत हुई है और इस्लामिक कानून के पैरोकार पर कटे पक्षी की तरह फड़फड़ा रहे हैं।

अब्बल तो पाकिस्तान में मुमताजकादरी को फांसी दे दी गयी। यह मुमताज कादरी वही शख्स है जिसने पाकिस्तानी पंजाब के होम मिनिस्टर सलमान तासीर के सीने में अपनी एके 47 से सताइस गोलिया उतार दी थी। वैसे तो वह उनका सरकारी बॉडीगार्ड था लेकिन उसने पाया कि होम मिनिस्टर साहब इश निंदा कानून को गलत बता रहे हैं। बस फिर क्या था। एक मुस्लिम होने के नाते उसका फर्ज बनता था कि वह अल्लाह निंदक को मौत की सजा दे दे, सो उसने दे दिया।

हांलाकि 2011 में हुए हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में नागरिक समाज और कट्टरपंथी जमातें आमने सामने खड़ी हो गयी थीं। पाकिस्तान की कट्टरपंथी और मजहबी जमातों ने जमकर उसका साथ दिया लेकिन नागरिक कानून के आगे उनकी एक न चली। जावेद अहमद घामडी जैसे मॉडरेट मौलवियों और धर्म प्रचारकों ने भी मुमताज कादरी की फांसी का समर्थन किया और हाईकोर्ट प्रेसिडेंट कहीं से भी उसे कोई राहत नहीं मिली और वहीं भेज दिया गया जहाँ उसने सलमान तासीर को भेजा था।

दूसरा आज पाकिस्तान के पंजाब में ही महिला सुरक्षा कानून को मंजूरी मिल गयी है। कानून लगभग ऐसा ही है जैसा दो साल पहले भारत में बना था। फर्क सिर्फ इतना है कि कानून का दुरुपयोग करने वाली महिला को भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। औरत के साथ छेड़छाड़ शारीरिक मानसिक और आर्थिक शोषण पीछा करना यौन आक्रमण आदि को कानूनन अपराध का दर्जा दे दिया गया है। मौलवियों को ऐसे कानून का विरोध करना ही था और वे कर भी रहे हैं। जमात ए उलमा ए इस्लाम के मौलाना फललुर्हमान ने कहा है कि यह कानून शरीया लों के खिलाफ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर शाहबाज शरीफ अब तक पंजाब के सेवक थे अब अपने ही घर के नौकर बन गया है।

आज के दिन पाकिस्तान में घटित दो बड़ी घटनाएँ अच्छा संकेत हैं, जो बताती है कि मजहब के नाम पर बना पाकिस्तान मजहबी मानसिकता से बाहर निकलकर इंसानी कानूनों के जरिए अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है जो मजहबी मानसिकता पर इंसानी कोशिशों की जीत है।

उत्तर:—यह सही है कि पाकिस्तान ने एक हत्यारे मुसलमान को मृत्यु दण्ड देकर एक ऐतिहासिक काम किया है। मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं था कि पाकिस्तान सरीखा मुस्लिम बहुमत वाला देश इश निंदा के मामले में इतना अलग हटकर कैसे कार्यवाही कर सकता है। लेकिन वह कार्य उसने कर दिखाया। इसके विरोध में जैसी संभावना थी उतना बड़ा आन्दोलन भी अब तक नहीं खड़ा हुआ। इसका हमें यह अर्थ समझना चाहिए कि विश्वव्यापी आलोचना का प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ना शुरू हुआ है। यदि कट्टरपंथी हिन्दू अर्थात् संघ परिवार इस इशारे

को समझदारी से समझना शुरू करे तो भारत की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। पाकिस्तान में जब से नवाज शरीफ जी की सरकार बनी है तब से लगातार दिशा ठीक चल रही है। हमारे भारत के मीडिया को भी संतुलित विचार व्यक्त करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और वहाँ के शासक नवाज शरीफ ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं तो हमें अंधदेश भक्ति दिखाकर अपनी ना समझी का परिचय देने से बचना चाहिए।

4 एम एल चौहान बालाघाट म0 प्र0 ज्ञानतत्व कमांक—657054

प्रश्न:—आपके ज्ञानतत्व पाक्षिक 16 जनवरी से 31 जनवरी को पड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, जिसमें परम्परागत परिवार एवं आधुनिक परिवार के विषयान्तर्गत लेख एवं उनके भेद में बहुत ही सारगर्भित तथ्य हैं। इससे मैं सहमत हूँ। दोनों में वास्तविक अंतर भी है। आपने पश्चिमी देश की संस्कृति, साम्यवादी संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति ये चार विचारधाराएँ बताई हैं। ये चारों एक ही भारतीय संस्कृति में समाहित हो जाते तो सम्पूर्ण देश के हित में होगा। इसके लिए प्रशासन एवं समाज को मिलकर एक कानून बनाना चाहिए। यद्यपि इस्लामिक संस्कृति का इसमें अधिक मत नहीं मिल सकता तथापि उससे शांति स्थापित करने हेतु वर्तमान सरकार पहल कर रही है। इस्लामिक संस्कृति के बेमेल से पारम्पारिक परिवार व्यवस्था कमजोर तो होती जा रही है जिसमें आज के राजनेताओं का भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दो प्रतिशत महिलाओं के सहयोगी बनकर 98 प्रतिशत महिलाओं की भावनाओं पर कुठाराघात साबित हो रहा है। इससे एक सम्पूर्ण राज्य की अनोखी तानाशाही चल रही है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी गंदी राजनीति जोर पकड़कर भारत की एकाग्रता को तहस नहस करने में लगी है। स्वतंत्रता के बाद आपने लिखा है कि भारतीय संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था में पंडित नेहरू तथा भीमराव अम्बेडकर का वर्चस्व रहा था। इन दोनों ने मिलकर परिवार व्यवस्था के विरुद्ध बढ़यंत्र रचा। इसको समझने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे विचार से भारत का संविधान जो विश्व में सबसे वृद्ध एवं प्रथम भगवान रूपी माना जाता है, जो विश्व को प्यारा है फिर परिवार व्यवस्था के विरुद्ध बढ़यंत्र रचने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए? उसमें परिस्थिति के अनुसार जनहितों का ध्यान रखते हुए जो उचित हों उस दिशा में संविधान संशोधन करने की स्वतंत्रता दी गई है। पंडित नेहरू को परिवार व्यवस्था के विरुद्ध में कहा जाना न्याय संगत हो अथवा न हो इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, किन्तु वे अपने कपड़ों की धुलाई पेरिश से करवाया करते थे। इतना मैं अवश्य जानता हूँ।

उत्तर:—आपने पाश्चात्य संस्कृति, साम्यवादी संस्कृति तथा इस्लामिक संस्कृति के भारतीय संस्कृति में विलय की इच्छा व्यक्त की है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए कोई कानून बनाने की बात की है। मैं आपकी दोनों बातों से असहमत हूँ। संस्कृतियों को अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार आपस में सामंजस्य और प्रतिस्पर्धा करने दीजिये। यदि भारतीय संस्कृति में योग्यता होगी तो आप जो सोच रहे हैं वैसा अपने आप हो जायेगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक काम करना होगा कि हम भारतीय संस्कृति को अन्य संस्कृति के साथ प्रतिस्पर्धा की नीयत से स्वयं को नीचे न गिराते जाये। मैं महसूस करता हूँ कि संघ परिवार ऐसी गलती कर रहा है।

आपने भारत के वर्तमान संविधान की बहुत प्रशंसा की है तो आप इस बात पर विचार करिये कि कोई संविधान या संविधान के अन्तर्गत बनी शासकीय व्यवस्था की सफलता असफलता का मापदण्ड क्या होगा। मेरे विचार से इसका मापदण्ड यह है कि संविधान सामाजिक व्यवस्था का पालन करने वाले व्यक्तियों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे तथा समाज विरोधी लोगों को अपनी आदत छोड़ने के लिए बाध्य कर दे। इसका अर्थ हुआ कि सामाजिक लोग पूरी तरह भयमुक्त हों तथा समाज विरोधी तत्व पूरी तरह भयग्रस्त हों। इस अर्थ में यह भी भाव छिपा हुआ है कि सामाजिक लोग कानून के भय से भी मुक्त हो तथा अपराधियों के भय से भी। यदि संविधान इस कार्य में सफल नहीं होता तो वह संविधान असफल माना जाता है और यदि किसी संविधान के रहते हुए परिस्थितियों इसके विपरीत हो जाये तो ऐसा संविधान दोषी माना जाता है। आप आकलन करके बताइये कि भारत का संविधान सफल है या असफल है अथवा दोषी। मेरे आकलन के अनुसार भारतीय संविधान सफल तो है ही नहीं बल्कि उसे असफल भी नहीं कह सकते। क्योंकि सरसठ वर्षों में समाज भयभीत है और समाज विरोधी तत्व भय रहित। इस तरह भारतीय संविधान दोषी है अर्थात् अपराधी है।

आपने संविधान संशोधन की स्वतंत्रता की बात की तो भारतीय संविधान इतना गडबड संविधान है कि उसने संविधान का पालन करने वालों को ही उसमें संशोधन की भी स्वतंत्रता दे दी। यदि भारतीय संसद मनमाने संविधान संशोधन कर ले तो आपके पास उस संशोधन को अमान्य करने का क्या तरीका है। यदि संसद बिना समाज से पूछे समाज के अधिकार अपने पास समेटती जाये जैसा उसने 70 वर्षों में किया है तो हम ऐसी परिस्थिति में अपने अधिकारों को संवैधानिक तरीके से कैसे बचा सकते हैं? क्या लोकतंत्र का अर्थ संसद की गुलामी के अतिरिक्त और भी कुछ बचा है? मतदान का अर्थ इस बात पर मोहर लगाना मात्र है कि आपकी नजर में पूरे भारत में ऐसा कौन समूह है जिसकी गुलामी स्वीकार करने के लिए आप सहमत हैं तथा इस समूह में आप अपनी ओर से किसे भेजना चाहते हैं। आप भले ही प्रति पांच वर्ष में अपनी गुलामी पर मोहर लगाने को स्वतंत्रता मानते हो किन्तु मैं इसे स्वतंत्रता नहीं समझता।

5 आकाश पांडेय, फेस बुक से

जे एन यू ने देश को क्या दिया? हारवर्ड और एम आई टी बोस्टन विश्व विद्यालयों ने अमेरिका को अमेरिका बनाया। आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने ब्रिटेन को नयी बुलंदिया दीं। ए एम यू बी एच यू, मद्रास बाब्बे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर भी हमें कभी नाज था। लेकिन हिन्दुस्तान के नम्बर एक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हिन्दुस्तान को क्या दिया? देश की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा बजट वाली सबसे बड़े कैपस वाली जे एन यू ने हमे क्या दिया? कुछ चुने हुए बड़े सेकुलर पत्रकार? बुछ बड़े एन जी ओ के भ्रष्ट मठाधीश? कुछ जनांदोलन के फलाप नेता? या माओवादी और नक्सल सोच के स्वयम्भू? हिन्दुस्तानियों के पसीने की कमाई और उस पर दिये गये टैक्स के पैसों से यह यूनिवर्सिटी चल रही है और पिछले 42 सालों में कई हजार करोड़ रुपये यहां खर्च हो चुके हैं। लेकिन इस जे एन यू ने हमे क्या दिया? वामपंथी विचारधारा के तेजस्वी नेताओं और पत्रकारों के अलावा क्या दिया? क्या आप जानते हैं कि जे एन यू का एक लिखित संविधान है और इसे बड़ी मेहनत से प्रकाश करात ने संवारा था। प्रकाश करात सीताराम येचुरी की तरह ही जे एन यू से निकले तेजस्वी नेता हैं। क्या आपको मालूम है कि नेपाल के माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई भी जे एन यू की ही देन हैं। जे एन यू से शिक्षा लेने के बाद बाबुराम ने 1990 के दशक में पीपुल वार आंदोलन शुरू किया। बाबुराम ने नेपाल की हजारों साल पुरानी संस्कृति को भ्रष्ट करके माओवाद की काठमांडू में नीव रखी और हिमालय के इस पवित्र राष्ट्र को तबाह कर दिया? चौकिये मत भारत के नक्सल इलाकों में सक्रिय कई भूमिगत नेता भी जे एन यू के तेजस्वी छात्र हैं। मित्रों जे एन यू पर बहुत कुछ लिखना है पर सबसे सवाल यही है कि हमारे आपके टैक्स से चलने वाले इस विश्वविद्यालय ने देश को क्या दिया? संस्कृति और शिक्षा के इस सबसे बड़े मंदिर से कौन सी गंगोत्री बहाई जा रही है? सिर्फ 350 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं जबकि ये संख्या हजारों में होनी चाहिये। स्वच्छंद विचारों के नाम पर यहां का कैपस अव्यासी और ड्रग्स का चारागाह बन गया है। यहां सेकुलरिज्म के नाम पर कामरेड तैयार कराये जाते हैं। आखिर हारवर्ड येल आक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की तरह इस विश्वविद्यालय ने भारत को क्या दिया? क्या यह सब नहीं है कि ये विश्वविद्यालय देश में सिमटती वामपंथी राजनीति का अखाड़ा बन गया जहां से एक ऐसी सोच निकल रही है जे मुट्ठी भर लोगों के राजनीतिक स्वार्थ को पूरी करती है, समूचे देश की सेवा नहीं?

उत्तर— पंडित नेहरू कभी साम्यवादी नहीं रहे किन्तु उनका पूरा पूरा झुकाव वामपंथ की दिशा में था। स्वतंत्रता के तत्काल बाद आम तौर पर बुद्धिजीवियों सत्तालोलुपो तथा तानाशाही प्रवृत्ति वालों का स्वाभाविक झुकाव वामपंथ की दिशा में होता था। वामपंथ अकेला ऐसा मार्ग है जहां आर्थिक उच्छृंखलता को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उच्छृंखलता की पूरी छूट है। पंडित नेहरू के लिये भी यही मार्ग अच्छा दिखा।

जिस उददेश्य से जे एन यू की स्थापना हुई थी उस दिशा में ही वह सफलता पूर्वक बढ़ता रहा। आज भी भारत के प्रशासनिक उच्चपदों पर जे एन यू के निकले हुए लोग ही बहुमत में हैं। उनमें प्रशासनिक पद की योग्यता तो थी ही साथ ही उन्हे वामपंथी सोच भी वहा बैठने में मदद करती थी। यह तो एकाएक ही हुआ कि वामपंथी विचारधारा संकट में आ गई और जे एन यू पर प्रश्न उठने लगे।

जे एन यू में चल रही गतिविधियों का घोर विरोधी होते हुए भी मैं यह ठीक नहीं समझता कि उसकी स्वायत्तता को सीमित किया जाय। जे एन यू में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो हुआ उसकी रोक थाम एक अलग विषय है। अतिवादी वामपंथी मुस्लिम गठजोड़ से पिंड छूटना चाहिये। किन्तु कुआ से निकलकर खाई में गिरने के प्रति भी हमें सतर्क रहना चाहिये। संघ परिवार के अतिवादियों को भी हावी होने से रोकने की तैयारी रखनी आवश्यक है आशा है कि इस संबंध में भी आप गंभीरता पूर्वक सोच रहे होंगे।

6 असहनशीलता से देशद्रोह तक, अमर सिंह आर्य जयपुर राजस्थान, ज्ञानतत्व कमांक 754004
जे एन यू में कैपिटल पनिशेन्ट पर संगोष्ठि से विवाद अफजल गुरु की फोटो लगाने से उठा। यह किसकी शरारत थी यह अब तक रहस्य है। शंका उमर खालिद पर है। परन्तु सोचने की बात यह है कि आयोजकों को

क्यों पता नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं और हो क्या रहा है। आयोजक छात्रों की कुछ जिम्मेदारी है अथवा नहीं। दंतेवाडा मे यू पी ए काल मे नक्सलियो द्वारा 76 पुलिस कर्मियो को घेर कर हत्या कर दी गई थी। अफजल गुरु को भारत की न्यायिक प्रक्रिया से फांसी दी गई थी। इस पर विवाद उठाना इसे शहादत का नाम देना हमारी न्याय प्रणाली को चुनौती नहीं है क्या? क्या किसी की अभिव्यक्ति देश समाज से उपर है? ऐसी अभिव्यक्ति जो आम लोगो के अहित मे जाती हो उसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। गिलानी संसद हमले मे सबूत के अभाव मे छूट गया। इस समय जब देश का वातावरण दूषित है गिलानी द्वारा दिल्ली प्रेस कलब मे देश विरोधी नारे व अन्य गतिविधियों के कारण देशद्रोह के आरोप मे गिरफ्तारी सिद्ध करती है कि उसमे कोई सुधार नहीं आया। विनायक सेन की सजा पर सुप्रीम कोर्ट मे जमानत पर बहस के समय अन्तर्राष्ट्रीय चर्च के प्रतिनिधियों का वहा उपस्थिति रहना न्याय प्रक्रिया पर दबाव बनाने के प्रयास जैसा था। इस पर भी उस समय प्रश्न उठा था जो सब आपको ज्ञात है।

2 महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कौन अपराधी कौन नहीं। ये पुलिस जांच से न्यायालय द्वारा तय हो या मीडिया ट्रायल से या वकीलों पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रदर्शन से। आज जैसे माहौल मे क्या पुलिस न्यायालय निष्पक्ष निर्भीक होकर काम कर सकते हैं? दिशाहीन शिक्षा दिशाहीन मीडिया अराजक होती राजनीति पर क्या कहेंगे। इसमे सुधार के उपाय होने चाहिये या यू ही चलने दिया जाये।

3 आज यह सोचने की जरूरत है कि यह देश कुछ लाख सिरफिरे लोगो के हिसाब से चलने दिया जाये अथवा सवा सौ करोड़ की आवश्यकतानुसार कानून सम्मत तरीके से चलाया जाये? लगता है कि सारी प्रशासनिक व न्याय प्रणाली ध्वस्त जैसी होने के कगार पर खड़ी हैं। हालात गंभीर है। जिम्मेदार नागरिक के नाते सोचना चाहिये, और सुझाव आये उन पर विचार हो। 4 वर्तमान हालात के लिये विगत की सरकारों के कार्य परिणामों के साथ साथ सरकार व विपक्ष का बिना सोचे समझे किसी भी मामले मे कूदना कर्तव्य उचित नहीं। किसकी सरकार रहे किसकी नहीं इससे उन कार्यकर्ताओं को तो फर्क पड़ता है, जिन्होने राजनीति को व्यवसाय बना लिया है परन्तु आम भारतीय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देश बड़े बड़े झांझट झेल चुका है। इन्तहा जुल्म सह चुका है। हजारो साल गुलाम रह चुका है परन्तु आज भी स्वार्थ त्यागने को तेयार नहीं। फूट हमारे अंदर गहरे तक घर कर गई है। बाहर वालों को सहने अपनों को दुक्तारने की आदत आज भी गई नहीं है। इसके हालात देखकर लगता है हम अपने को मिटाने मे ही लगे हैं।

5 आज लग ये रहा है कि कोई एक दल या कोई एक नेता नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक विरादरी के अधिकतर लोग माहौल बिगाड़ने मे लगे हैं। उन्हे न शर्म आती है न अफसोस होता है। और भी अधिक दुख होता है जब ऐसे लोगो के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को समझना चाहिये। वे पार्टी के नहीं देश के हैं। वे अराजक तत्वो के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करे इससे पहले कि अराजकता इस देश को लील जाये।

उत्तराधी

ग्राम सभा की विवेचना

दिनांक 8 फरवरी से 14 फरवरी तक लोक सभा टीवी चैनल की एक टीम ने रामचंद्रपुर ब्लाक के चार गांव तथा एक शहर रामानुजगंज मे ग्राम सभा की प्रणाली की रेकार्डिंग की। उस रेकार्डिंग मे होने वाले प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार रहे।

ग्राम सभा प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1— (क) ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का फर्क

उत्तरः— ग्राम सभा मालिक, ग्राम पंचायत मैनेजर

(ख) ग्राम सभा की अवधि

उत्तरः—शाश्वत। न कभी प्रारंभ न कभी अन्त। निरंतर

(ग) आरक्षण

उत्तरः— ग्राम सभा अकेली इकाई जिसमें सबके समान अधिकार। न कोई आदिवासी हरिजन, सर्वण, न महिला, पुरुष, न गरीब अमीर, न नेता, न युवा वृद्ध।

(घ) ग्राम सभा में सरपंच की भूमिका

उत्तरः— किसी को विशेष अधिकार नहीं। सरपंच भी समान रूप से बैठता है।

प्रश्न 2— (क) क्या आपकी ग्राम सभा में भी ऐसा ही होता है?

उत्तरः— पहले तो ऐसा नहीं था किन्तु अब धीरे धीरे समानता बढ़ रही है।

(ख) कई जगह ग्राम सभा में लोग नहीं आते और घर से ही हस्तक्षर हो जाते हैं।

उत्तरः—यह आमतौर पर होता है। किन्तु हमारे ब्लाक में घूम कर यह सिखाया गया कि बैठक के बाद हस्ताक्षर करते समय एक आदमी लिखे कि कितने आदमी आये। उसके बाद ऐसा बंद।

(ग)कई जगह मीटिंग के बाद भी नये प्रस्ताव जुड़ जाते हैं।

उत्तरः—हमें यह सिखाया गया कि बैठक के बाद प्रस्ताव लिखा जाय और उसके नीचे एक दो लोग हस्ताक्षर कर दें। साथ ही दूसरी बैठक के समय पिछली बैठक का विवरण पढ़ना आवश्यक है तथा ध्यान से सुनें।

(घ)प्रस्ताव कौन पढ़कर सुनाता है।

उत्तरः—कभी कभी गॉव का ही कोई आदमी पढ़ देता है तो कभी कर्मचारी पढ़ता है।

प्रश्न 3—आपके गॉव में भ्रष्टाचार

उत्तरः—भ्रष्टाचार तो सभी जगह है तो यहाँ भी कुछ न कुछ होगा ही। किन्तु अब धीरे धीरे घट रहा है। ग्राम सभा में तो हो ही नहीं सकता किन्तु ग्राम पंचायत में हो सकता है। जब से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के हर काम का आडिट करने लगी है तब से वहाँ भी भय हो गया है।

प्रश्न 4—ग्राम सभा मजबूत होने से आपको लाभ

उत्तरः—आपसी टकराव आपस में निपट जाते हैं। धार्मिक कटुता, जातीय कटुता नहीं है। कुछ समाज सुधार की भी चर्चाए भी होती है। जैसे शराब पर रोक, शिक्षा विस्तार, वृक्षारोपण आदि।

प्रश्न 5—आप बैठकर सर्वसम्मति से पंच सरपंच क्यों नहीं चुनते

उत्तरः—पहले तो कभी कभी होता था पर अब पार्टी वाले नेता लोग नहीं होने देते।

प्रश्न 6—वर्तमान सरकार आने के बाद आप लोगों के लिये सबसे अच्छा काम क्या हुआ।

उत्तरः—नक्सलवादियों से मुक्ति मिली।

प्रश्न 7—क—आप लोगों को सरकार से क्या परेशानी है।

उत्तरः—हम लोग अपना सामान शहर में बेचने जाते हैं तो व्यापारी कम पैसा देते हैं और पूछने पर कहते हैं कि सरकारी टैक्स कटता है। अनाज, तिलहन, दलहन, वन उपज कोई भी चीज। यहाँ तक कि अपनी जमीन की वनोपज या पेड़ काटकर बेचने पर टैक्स कटता है।

हम जब बाजार में कोई चीज खरीदते हैं तब व्यापारी महंगे में देकर कहता है कि सरकारी टैक्स लगता है। बेचने पर भी टैक्स और खरीदने पर भी टैक्स।

ख—सरकार टैक्स न ले तो खर्च कैसे चलेगा?

उत्तरः—पहली बात तो हमारा यह क्षेत्र सबसे गरीब पिछड़ा हैं आदिवासी वहुल है। सरकार को टैक्स माफ करना चाहिए। न करे तो कम से कम यह तो बताये कि हमारे ब्लाक से कितना वसूला और कितना खर्च किया? हमें लगता है कि हमसे वसूल कर हमें तो थोड़ा सा देकर ठग देते हैं और शहरों पर खर्च करते हैं।

ग—आप क्या चाहते हैं

उत्तरः—सरकार न टैक्स ले न दे। ग्राम सभा को अधिकार दे कि वह अपनी व्यवस्था खुद करे। सरकार बाहर से लेकर जो देना चाहे वह ग्राम सभा को इकट्ठा दे दे।

प्रश्न 8—क—सामने कुर्सी पर एक आदमी टोपी लगा कर बैठा है वह कौन है

उत्तरः—वह ग्राम देवता है।

ख—ग्राम देवता क्या होता है

उत्तरः—हमारे ब्लाक के हर गॉव में एक सबसे शरीफ, सीधे साधे आदमी को ग्राम देवता चुना जाता है।

ग—काम क्या है

उत्तरः—कुछ नहीं। एक तरह से वह गॉव का राष्ट्रपति की तरह होता है।

घ—फिर ग्राम देवता क्यों?

उत्तरः—समाज में अच्छे लोगों को न पावर मिल पाता है न धन। उसे कम से कम इज्जत तो मिले तभी तो कोई आदमी शराफत की तरफ बढ़ेगा।

प्रश्न 9—आप सरकारी कानून में क्या बदलाव चाहते हैं?

उत्तरः—हम लोग नब्बे प्रतिशत आदिवासी हैं। हमारे पड़ोसी गैर आदिवासी की जमीन एक करोड़ में बिकती है तो हमारी एक लाख में। हममें से कोई आदिवासी कुछ तरक्की कर लिया, नेता या कर्मचारी बन गया तो वह सस्ते में खरीद लेगा। सरकार बदलाव करे कि कोई आदिवासी यदि जमीन बेचेगा तो बाजार दर पर बिकेगी अन्यथा वह जमीन भूमि बैंक खरीदेगा कोई अन्य आदिवासी नहीं। अन्य आदिवासी बैंक से ही खरीद सकता है।